

# फर्द अहकाम

राम दयाल बनाम हीरामल क

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर प्रथम

नाम न्यायालय  
केस संख्या

सी - 98/2024

प्रमाणित प्रार  
10/07/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/12/25	<p>आज्ञा दिनांक 25/12/25 के अनुसार                      कार्य को शीघ्र आदेशों पर समान के                      लिए वही ताली वरदायी जाती थी।                      परन्तु आज्ञा का माह व्यतीत हो जाने के                      उपरान्त भी कार्य इसी शीघ्र आदेशों                      के समान समान के लिए वही ताली                      पेश नहीं की गई। बावजूद इसके कार्य                      वही ताली हेतु डाक खर्च (वे में                      विफल रहते हैं। आज्ञा प्रतीक अर्थात्                      का अर्थ 09 दिनांक 02 एफ के तहत                      पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।                      परन्तु वही नष्ट हो जाने के कारण                      शुभार होना जालिम वगैरह है।</p>	

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर प्रथम